
	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar</p>	
---	--	---	---

सी.एस.एफ./ 2-65 / कृषि / Vol-II/2021-22 /

दिनांक :- 29.01.2021.

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर (राज.) में रबी 2020-21 में बोई गई सरसों 2394.0 एकड़, तोरिया 192.00 एकड़ व चना 4562.0 एकड़ की कटाई/श्रेसिंग करने हेतु सीलबन्द निविदायें/खुली बोली चकवार ब्लॉकवार दिनांक 06.02.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक आमत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 2.30 बजे कमेटी द्वारा खुलीबोली करवाने के बाद प्राप्त निविदाए खोली जायेगी। धरोहर राशि रूपये 10000/- मात्र का डी.डी. प्रत्येक चक के लिए और रु. 118/- निविदाफार्म (जो कि निविदा के दिन दोपहर 12.00 बजे तक ही दिये जायेंगे) राशि डी.डी. जो कि **“NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH”** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्ते निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। सफल बोलीदाता को छोड़ी गई फसल की बोली की 25 प्रतिशत रकम उसी समय जमा करानी होगी, तथा असफल बोलीदाता की राशि बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी।

प्रबन्धक (उ.)

निविदा प्रपत्र

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़।

रबी 2020-21 की फसलों की हाथ से कटाई / गहाई के लिए टेन्डर दिनांक 06.02.2021.

कार्य का विवरण :- खेतों की खड़ी फसल को काटना इकटठा करना सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर पर उतारना। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा फार्म में अतिरिक्त रुपये जमा कराना। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होने तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगे बाहर नहीं जायेगा।

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	बिजाई का क्षेत्र एकड में			दर प्रति एकड रूपयों में (ठेकेदार के द्वारा फार्म को दी जाने वाली)		
		सरसों	तोरिया	चना	सरसों	तोरिया	चना
ब्लाक 1	35 STG	42.0	0.0	154.0			
	37 STG	70.0	18.0	410.0			
	38 STG	122.0	0.0	302.0			
	40 STG	234.0	42.0	159.0			
	42 STG	183.0	0.0	57.0			
	44 STG	320.5	57.0	228.0			
	BRP-I	62.0	0.0	302.0			
	TOTAL :-	1033.50	117.0	1612.0			
ब्लाक 2	31 A PBN	126.0	0.0	60.0			
	31 B PBN	75.0	0.0	261.0			
	33 PBN	132.0	0.0	182.0			
	RPM-I	48.5	0.0	431.5			
	RPM-2	70.0	0.0	456.5			
	RPM-3	104.0	0.0	252.0			
	RPM-IV	126.0	0.0	460.0			
	TOTAL :-	681.5	0.0	2103.0			
ब्लाक 3	3 SGM	75.0	25.0	84.0			
	4 SGM	262.0	0.0	185.0			
	5 SGM	85.0	50.0	305.0			
	34 PBN	257.0	0.0	273.0			
	TOTAL :-	679.0	75.0	847.0			
G.TOTAL		2394.0	192.0	4562.0			

ठेकेदार के हस्ताक्षर.....

नाम व पूरा पता:.....

.....

मोबाईल न0.....

बैंक खाता संख्या / IFSC CODE / BRANCH NAME निविदादाता का.....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)

रबी 2020-21 फसलों की कटाई के लिए नियम एवं शर्तें

- 1- निविदा दाता/बोलीदाता को रुपये 10000/- मात्र प्रत्येक चक व फसल के लिए धरोहर राशि के रूप में **डी.डी. जो की "NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH"** के नाम जमा कराना होगा जो कि कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। आवंटित क्षेत्र की 25 प्रतिशत राशि नीलामी के दिन ही जमा करानी होगी। रकम जमा नहीं कराने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। असफल बोली दाता को राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी।
- 2- सरसों/तोरिया, तारामीरा व चना फसलों की कटाई के लिए ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई सम्बन्धित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि थ्रेसिंग शुरू करने से पहले जमा करानी होगी।
- 3- फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर लगाने होंगे, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होंगे, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई सरसों को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा।
- 4- सरसों/तोरिया व तारामीरा की थ्रेसिंग ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से व चने की थ्रेसिंग फार्म कम्बाइन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा।
- 5- अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर उतारना होगा। संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी।
- 6- ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा। नीरा सांय 5 बजे तक ही ले जा सकेगें तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के बैंक करने पर ठेकेदार बैंक कराने से मना नहीं कर सकेगें।
- 7- कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के दौरान कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- 8- ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- 9- निविदादाता/बोलीदाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।
- 10- कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11- कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रुपये का स्टाम्प अपने खर्चे से खरीद कर व सभी शर्तों को उस पर लिखकर देना होगा कि मुझे सभी शर्तें मंजूर हैं।
- 12- अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- 13- सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
14. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर